

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या.....५७६/२०२३

०८.०९.२०२३

आवेदिका सीता देवी पति गंगा प्रसाद, साकिन-कोडरमा, पोस्ट-कोडरमा, थाना-कोडरमा, जिला- कोडरमा द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
कोडरमा	३३३	३०	४३७७	१.८४ डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक .....१५/.....०९/२०२३ को प्रस्तुत करें।

०८/०९/२३  
अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

06. पंजी 27 में संबंधित जमाबंदी की सत्यता की जाँच की गई एवं पाया गया कि:-

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया गया है:-

1) केवाला से- 3335, दि. 26-04-62 की हवापत्र।

2) ऑनलाईन बेजी-11 की प्रतिलिपि।

3) शपथपत्र से- 97, दि. 21-08-23 की मूल प्रतिलिपि।

08. यदि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नहीं है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नहीं :- हाँ

(ख) अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नहीं :- नहीं

09. प्रश्नगत भू-खण्ड भू हदबंदी/भवन लीज या सरकारी सस्था की नहीं है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमों के अन्तर्गत भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :-

प्रमाणित, मौजा-चौडरमा, धाना से- 333 अंतर्गत खाला से- 30, लॉट नं- 4344, खाला- 06 डी. भूमि की जमाबंदी परस साव-कादू, दि. 26-04-62 के नाम से ऑनलाईन बेजी-11 की प्रतिलिपि (भाग से- 62) में दर्ज है। भूमि ईयही खाला की है। उक्त भूमि अवेदक के ससुरार के परस साव-कादू के नाम से केवाला द्वारा हस्तिल है। वंशावली के अनुसार अवेदक के पिता स्पष्ट नहीं हैं एवं अन्य हिस्सेदारों का अनापत्ति-पत्र संलग्न नहीं है। अतः उक्त स्थिति में भू-स्वामित्व पत्र निर्गत करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक

हस्ताक्षर

राजस्व कर्मचारी

नाम- अनिल कुमार

हल्का संख्या- IV